(20)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा

क्रमांक:- ननिको/फायर/2013/ 48 दिनांक:- 07/05/2013

प्रेषित:-

सचिव महोदय
नगर विकास न्यास
कोटा

विषय:- ख.नं. 566/2,3,4, ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील व कोटा पर [illegible] भवन निर्माण हेतु अग्निशमन की दृष्टि से [illegible] की अभिशंषा [illegible]

प्रसंग:- पत्र क्र. 493 दि. 10-5-2013.

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री/मैसर्स पृथ्वी प्रथम बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा. लि. पार्टनर निदेशक श्री [illegible] ने दिनांक 14/5/13 को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ख.नं. 566/2,3,4 ग्राम रामचन्द्रपुरा तह. लाडपुरा कोटा .... कोटा में बहुमंजिला इमारत (रिहायशी/व्यावसायिक) का संलग्न नक्शे के अनुसार निर्माण करवाना चाहते है, अत: अग्निशमन की दृष्टि से उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाए। इस क्रम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु प्रार्थी श्री/मैसर्स पृथ्वी प्रथम बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा. लि. .... को निम्न शर्तों का पालना करनी होगी:- पार्टनर निदेशक [illegible]

1. भवन/इमारत का निर्माण नगर विकास न्यास/नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/इमारत में फायर हाइड्रेण्ट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाईप आदि आपातकालीन बचाव की सीढ़ियां, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टेंक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
3. भवन/इमारत के चारों ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुंच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. निर्माण कार्य की स्वीकृति नगर विकास न्यास से प्राप्त करनी होगी।

भवन/इमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवश्यक होगा। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा

FRIENDS S P S INTERNATIONAL Pvt. Ltd.

DispqlFire.pm5

②

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा

दिनांक : 06/03/2018

क्रमांक : FireNOC/745 /NNK/2321

प्रेषित –
श्री आवेदक का नाम - Alokik Jain
पता - Royal Palms

विषय - स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र ज़ारी करने बाबत।
प्रसंग - आपका पत्र दिनांक 02/02/2018 के क्रम में।

आपके Royal Palms का Khasra No.466/2,3,4 Ram Chandrapura Kota निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि के लिए मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
2. Royal Palms के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

6/3/18
संजय शर्मा
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा

Scanned by CamScanner